

¹ प्ररूप सं. 3गडकग

[कृपया नियम 10घख देखें]

अंतराष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, के भारत में निवासी घटक अस्तित्व द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सूचना

1. घटक अस्तित्व का नाम
2. घटक अस्तित्व का पता
3. घटक अस्तित्व का स्थायी खाता संख्यांक
4. अंतराष्ट्रीय समूह का नाम
5. अंतराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम
6. अंतराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता
7. मूल अस्तित्व के निवास का देश
8. क्या अंतराष्ट्रीय समूह ने किसी वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को मूल अस्तित्व के स्थान पर धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया है— हाँ/नहीं
9. यदि हाँ, तो अंतराष्ट्रीय समूह के वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम और पता—
 - (i) वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम
 - (ii) पता
10. वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के निवास का देश
11. रिपोर्ट योग्य लेखांकन वर्ष

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी* घोषणा करता हूँ कि मैं (निर्धारिती का नाम) की क्षमता (पदनाम) में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान

हस्ताक्षर**

तारीख

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक

टिप्पण 1 : * जो लागू न हो उसे काट दें।

** इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है।